पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो किया। कार्य ... के उपरांत ... हो
सुनवाई दि० 23-8-19 को पेश हो। KL

26-8-19 अवकाश होने से आज पेश हुई
वास्ते ... दि० 6-9-19 को पेश हो। KL

6-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अध्यक्ष मिटिंग
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 13-9-19
को पेश हो।

रीडर

13-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अवकाश पर है।
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 27-9-19
को पेश हो।

रीडर

27-9-19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना
स्वीकार किया जाता है। निर्णय
पृथक से शामिल किया। पत्रावली
... दाखिल
रिकार्ड हो। KL

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री तुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

प्रा. पत्र सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
49	26-8-19	27-9-19

उनवान

1- सरकार जर्ये तहसीलदार (लैण्डहोल्डर) किशनगढ-बास जिला अलवर :-प्रार्थी

बनाम

1- अजमत, जहान, मौजा, मजला पुत्रान महराब मेव निवासी कुटियापुर तहसील किशनगढ-बास जिला अलवर :-अप्रार्थीगण

प्रा. पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के तूल म वृतान्त निम्न प्रकार से है :- तहसीलदार किशनगढ-बास ने प्रा. पत्र पेश किया कि ग्राम कुटियापुर के मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी में ह. नं. 248 व 249 का रकबा एक बार (यानि 0.27 है.) दर्ज है परन्तु नक्शें में पुख्ता लाईन डालकर अलग अलग ख. नं. नक्शें में दर्शित है दोनो नम्बरान एक ही खाते में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। मात्र रिकार्ड दुरूस्ती हेतु रकबा अलग अलग किया जाना है। अतः ख. नं. 248/0.13 व 249/0.14 दर्ज करने के आदेश दिया जाना उचित है।

प्रा. पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर इस तथ्य को स्वीकार किया कि दोनों नम्बरान का रकबा पृथक पृथक दर्ज किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया रिपोर्ट व अप्रार्थीगण के जवाब अनुसार प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :-

प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ-बास को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कुटियापुर की जमाबन्दी हाल में रकबा दुरूस्त कर ख. नं. 248/0.13 व 249/0.14 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढ-बास को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner